निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 700) पटना, मंगलवार, 17 अगस्त 2021

सं० 08/आरोप–01–45/2016/7759–सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 जुलाई 2021

श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–995/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–1224 दिनांक 18.02.2017 द्वारा बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थिति रहने के कृत्य में उनकी स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता तथा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना से संबंधित आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–4804 दिनांक 24.04.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (पत्रांक–1715 दिनांक 31.10.2018) प्राप्त हुआ। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–1226 दिनांक 23.01.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–7172 दिनांक 26.09.2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गम्भीरता को देखते हुए संकल्प ज्ञापांक–32 दिनांक 03.01.2020 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

संचालन पदाधिकारी (यथा आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया) के पत्रांक–84 दिनांक 12.01.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित दोनों आरोपों को अंशत प्रमाणित पाया गया। तदुपरांत जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक–1483 दिनांक 03.02.2021 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (दिनांक 21.05.2021) प्राप्त हुआ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार ने अपने लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन में उन्हीं सब बातों का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी को समर्पित बचाव बयान में किया गया था, जिसके

समीक्षोपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि आरोपी पदाधिकारी के पिताजी का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी का तत्समय बिना अवकाश स्वीकृति के प्रस्थान करना परिस्थिति जन्य था। हालाँकि उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व जिला पदाधिकारी से मिल कर अथवा दूरभाष से सम्पर्क कर आकस्मिक परिस्थितियों से जिला पदाधिकारी, गया को अवगत कराकर अवकाश स्वीकृत करा लेनी चाहिए थी।

यह भी पाया गया कि UPSC (PT) परीक्षा के आयोजन को लेकर होने वाली Briefing एवं मजिस्ट्रेट ड्यूटी में आरोपित पदाधिकारी मात्र तेज बुखार का बहाना कर ड्यूटी से बचना चाहे हैं। वे चाहते तो दवा लेकर परीक्षा ड्यूटी कर सकते थे परन्तु आरोपित पदाधिकारी में इच्छाशक्ति का अभाव रहा।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–995/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया का लिखित अभिकथन अस्वीकार करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा अंशत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत उन्हें निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष–2016–17)

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 700-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in